# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री ओमप्रकाश, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 130 / 2024
दायर दिनांक :– 25.07.2024

अनवान

1. चौना पुत्री मदनलाल ब्राहमण निवासी तस्वारिया वांसा तहसील फूलियाकलां
2. मंजू पुत्री मदनलाल ब्राहमण निवासी तस्वारिया वांसा तहसील फूलियाकलां
3. रेखा पुत्री मदनलाल ब्राहमण निवासी तस्वारिया वांसा तहसील फूलियाकलां
4. शान्ता पुत्री मदनलाल ब्राहमण निवासी तस्वारिया वांसा तहसील फूलियाकलां
5. शिवजीराम पिता मदनलाल ब्राहमण निवासी तस्वारिया वांसा तहसील फूलियाकलां

........ प्रार्थीगण

वनाम

1. अहिल्या पत्नि स्व. रतना ब्राहमण निवासी तस्वारिया वांसा तहसील फूलियाकलां
2. गड्डू पुत्री रतना ब्राहमण निवासी तस्वारिया बांसा तहसील फूलियाकलां
3. गोविन्द पिता रतना ब्राहमण निवासी तस्वारिया वांसा तहसील फूलियाकलां
4. व्रजेश पिता रतना ब्राहमण निवासी तस्वारिया वांसा तहसील फूलियाकलां
5. नन्दकिशोर पिता ज्ञानमल ब्राहमण निवासी तस्वारिया वांसा तहसील फूलियाकलां
6. शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा वच्छखेडा तहसील शाहपुरा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाडा

..... अप्रार्थीगण

## :: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर. टी. एक्ट. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री शिवराज शर्मा, एडवोकेट प्रार्थीगण
2. श्री हंसराज गुर्जर, वकील अप्रार्थी सं. 5

:: निर्णय :: दिनांक 11.09.2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 25.07.2024 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा तस्वारिया बांसा पटवार मण्डल तस्वारिया बांसा तहसील फुलियाकलां स्थित खसरा संख्या 3403, 3392 प्रार्थीगण के शामलाती खाते में सहखातेदारी अधिकारों में दर्ज अभिलिखित है, एवं प्रार्थीगण की खातेदारी खसरे में आवागमन का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपने खसरान तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीगण वर्षो से अप्रार्थीगण के सहखातेदारी खसरान में से होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 की आराजी संख्या 3396 तथा विपक्षी संख्या 05 की आराजी संख्या 3398 में से नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार कराया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खसरे में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण के

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलाँ, जिला–भीलवाडा

C:nirnay//rider

हक स्वामित्व की खसरान संख्या 3396, 3398 में से 20 फिट नवीन रास्ता किस्म रास्ता दर्ज किये जाने की आज्ञा पारित कराये जाने की मांग की।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, कारण दर्शित करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस वाद तामील प्राप्त हुए, जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 01 से 04 वावजुद सुचना के उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 5 की और से श्री हंसराज गुर्जर एडवोकेट द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत कर जवाव तथा काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजुद है। जिसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की आराजी में आने जाने हेत जो रास्ते की मांग की है उसमें यह कही भी नही दर्शाया गया है कि सर्वप्रथम कहां से आते हुये किस किस आराजी से रास्ते की मांग की और उस आराजी से किस दिशा से होकर रास्ते की मांग की गई। इसलिये प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। प्रार्थीगण क्लीन हैण्ड से नही आकर विना किसी रास्ते के अपनी आराजी में पहुचने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया जो खारिज होने योग्य है। गे. मु. रास्ता आ.न. 3409 से आ.न. 3393 से आ.न. 3392, 3394 के मध्य से आ.न. 3396 की मेर से आगे आ.न. 3403 की मेर के सहारे होते हुये आगे आ.न. 3401 व 3402की मेर के मध्य से होते हुय सामलाती आ.चा. 3623 मे पहुचने हेतु भी रास्ता उपलब्ध कराया जाने का आदेश प्रदान करावें।

वकील प्रार्थीगण द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाव प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थना–पत्र की कलम नम्बर 04 में वर्णित किये गये कथन सिरे से अस्वीकार है क्यों कि प्रार्थीगण के पास अपनी सहखातेदारी आराजी 3392 से आराजी संख्या 3403 पर पहुंच का कोई स्थाई मार्ग अथवा वैकल्पिक मार्ग मौके पर मौजूद नही है इसलिए आराजी 3403 में पहुंच हेतु प्रार्थनापत्र की पैरा संख्या 03 में वर्णित अप्रार्थीगण के स्वामित्व के खसरान में से होकर प्रार्थीगण वर्षों से आवागमन रहे है। परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा मार्ग के उपयोग में रूकावट/वाधा उत्पन्न कर दिये जाने से प्रार्थीगण का अपनी ही कृषि भूमि आराजियात पर पहुंच पाना कठिन हो गया है। प्रार्थीगण का सम्पूर्ण रूप से कृषि कार्य बाधित हो गया है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि आराजी 3392 से अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की आराजी संख्या 3396 की पश्चिमी दक्षिणी सीमा की मेड के किनारे किनारे होकर, अप्रार्थी संख्या 05 की आराजी संख्या 3398 के दक्षिणी/पश्चिमी के आंशिक हिस्से से होते हुए प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि आराजी 3403 में प्रवेश करते है। और इसी मार्ग का उपयोग प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से करते चले आ रहे है। दूसरी और जवावदाता ने गै. गै.मु.अ मु. आचा खसरा संख्या 3623 को स्वयं की सहखातेदारी में दर्ज होना वताया है जवकि जवावदाता को कुंए में सहखातेदाारी अधिकार प्राप्त नही है। चालू जमावन्दी से स्वतः प्रमाणित है। लिहाजन जवावदाता द्वारा की गई वांछना प्रथम दृष्ट्या पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किए जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाव उल जवाव मंजूर फरमाया जाकर प्रति–प्रार्थना पत्र खारीज कराया जावें साथ ही प्रस्तुत मूल प्रार्थनापत्र मंजूर फरमाते हुए, प्रार्थीगण स्वयं की कृषि भूमि आराजी 3392 से अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की आराजी संख्या 3396 की पश्चिमी दक्षिणी सीमा की मेड के किनारे किनारे होकर, अप्रार्थी संख्या 05 की आराजी संख्या 3398 के दक्षिणीध्पश्चिमी के आंशिक हिस्से से होते हुए प्रार्थीगण के पहुंच खसरा 3403 तक 20 फिट चौडाई का नवीन मार्ग (सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु) राजस्व नक्रों में दर्शित अनुसार कायमी के आदेश वक्षावें ।

प्रार्थीगण की आराजी न. 3403, 3392 में पहुॅचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकवा एवं डी एल सी दर अनुसार जॉच कर तहसीलदार फूलियाकलां से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार फूलियाकलां ने जरिये पत्र दिनांक 18.01.2025 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार फूलियाकलां की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा प्रार्थीगण की जोत तक आने जाने के लिये लघुत्तम रास्ता खसरा नं. 3396, 3398 में से रास्ता देने पर 0.0402 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। तथा मौके पर वर्तमान में आ.न. 3409 किस्म गे. मु. रास्ता से आ.न. 3393, 3396, 3392 में से खातेदारों की आपसी सहमति से रास्ता बना हुआ होकर चालू है।

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलॉ, जिला–भीलवाडा

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने बताया कि प्रार्थीगण की जोत आ.न. 3403, 3392 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता है, क्योंकि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता अवरूद्व कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे। बहस के दौरान वकील अप्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी की आराजी में जाने हेतु मौके पर वर्तमान में खातेदारों की आपसी सहमति से रास्ता बना हुआ होकर चालू है। जिसका प्रार्थीगण उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण क्लीन हैण्ड से नही आकर बिना किसी रास्ते के अपनी आराजी में पहुचने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया जो खारिज होने योग्य है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण से संबधित विधिक प्रावधान निम्नानुसार है किं

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि खातेदारों के बीच मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

1. खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार फुलियाकलां की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अपने आ.न. 3403, 3392 में आने जाने हेतु ख. न. 3396, 3398 में से रास्ता चाहते है। वकील अप्रार्थी द्वारा बताया की प्रार्थीगण की भूमि मे आने जाने हेतु मौके पर वर्तमान में खातेदारों की आपसी सहमति से रास्ता बना हुआ होकर चालू है। जिसका प्रार्थीगण उपयोग उपभोग करते आ रहे है। इस बाबत तहसीलदार द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में बताया की मौके पर वर्तमान में आ.न. 3409 किस्म गे. मु. रास्ता से आ.न. 3393, 3396, 3392 में से खातेदारों की आपसी सहमति से रास्ता बना हुआ होकर चालू है।

अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि प्रार्थी की आ.न. 3403, 3392 तक पहुॅचने हेतु मौके पर रास्ता मौजूद होकर चालू है। वैकल्पिक रास्ते होने और रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता नहीं होने के कारण न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नही समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां, भीलवाडा